

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

गंगावाड़ी बनाम कलेश
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 205/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>गंगावाड़ी कलेश</u> पत्नी <u>श्री भगवान मोई</u> निवासी- <u>मोई खेड़ा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>विपालिया खुर्द (पण्डे. सोनगा)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>27/288</u> <u>28/332</u>, <u>30/289</u>, <u>30/305</u> <u>0.3300</u>, <u>0.1800</u>, <u>0.2200</u> कुल कीता <u>4</u> कुल रकबा <u>1.1800</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>विपालिया खुर्द (पण्डे. सोनगा तह. कस्बी)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>27/288</u>, <u>28/332</u>, <u>30/289</u>, <u>30/305</u> <u>0.4500</u>, <u>0.3300</u>, <u>0.1800</u>, <u>0.2200</u></p> <p>कुल कीता <u>4</u> रकबा <u>1.1800</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000.00</u> रूपये अक्षरे <u>एक हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>